प्रेस नोट

ISI का जासूस BSF कांस्टेबल गिरफ्तार: साइबर हनी ट्रैप का मामला

पाकिस्तानी ISI पिछले कुछ समय से लड़कियों के फेसबुक ID बना कर सेना और सशस्त्र बलों के कर्मियों से मित्रता कर अपने जाल में फंसा कर जासूसी करा रही है।

इसी प्रकार की एक छद्म ID के बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस की चंडीगढ़ इकाई द्वारा UP ATS को अभिसूचना दी गयी।

ATS की Counter Espionage (काउंटर एस्पिओनाज) टीम द्वारा इस सम्बन्ध में एक FIR दर्ज़ कर जांच की गयी तो ऐसी कई भारतीय फेसबुक ID चिह्नित हुईं जो इस छद्म ID से निरंतर संपर्क में थीं।

उनके बारे में और गहराई से जांच की गयी तो BSF का कांस्टेबल अच्युतानंद मिश्रा निगाह में आया जिससे ATS और BSF अधिकारियों ने 17, 18 सितम्बर को नॉएडा में पूछताछ की और उसका डाटा download और extract किया तो स्पष्ट हुआ कि इसने Official Secrets Act के अंतर्गत अपराध किया है.

अभियुक्त का विवरण

अच्युतानंद मिश्रा पुत्र सुरेन्द्र मिश्रा निवासी-ग्राम मंडवा, थाना-गोविन्द गढ़,रीवा मध्य प्रदेश।

- यह वर्ष 2006 में BSF में भर्ती हुआ था
- यह शादीशुदा है व इसके दो बच्चे हैं
- जनवरी 2016 में मिश्र की फेसबुक मित्रता इस महिला ID से हुई
- महिला ने खुद को डिफेन्स रिपोर्टर बताया
- शुरुआत में रसीली बातें हुई, फिर मिश्र ने गोपनीय सूचनाएं (यूनिट की लोकेशन, शस्त्र गोला बारूद का विवरण, BSF परिसर के चित्र और विडियो) देना शुरू कर दिया
- दूसरे चरण में पाकिस्तानी नंबर (+92.....) से whatsapp वार्ता शुरू हुई जिसके बाद इसे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि यह सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा है
- पाकिस्तानी नंबर से चैट में मिला है कि इसे धर्म परिवर्तन और कश्मीर पर भारत विरोधी बातें कह कर प्रभावित किया जा रहा था.

साक्ष्य:

- मिश्र के मोबाइल और फेसबुक से तमाम साइबर साक्ष्य मिले हैं
- इसके द्वारा भेजे गए चित्र और विडियो भी एक्सट्रैक्शन में मिल गए हैं
- जिस +92.... नंबर से यह बात करता था, 'Pakistani Dost' नाम से सेव मिला
- मिश्र ने अपना जुर्म स्वीकार किया है
- यह धारा 3,4,5,9 Official Secrets Act,121A IPC, 66D IT एक्ट का अपराध बनता है

अग्रिम कार्रवाई:

इसे लखनऊ में आज मा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि:

- इस नेटवर्क में और कौन लोग हैं
- मिश्र का मोटिवेशन क्या है, क्या इसे पैसा मिला, इसके अकाउंट चेक किए जाएंगे
- इसने क्या सूचनाएं ISI को भेजी हैं, कितना नुकसान हुआ है
- सशस्त्र बलों के सदस्यों को और जागरूक किया जाएगा

जासूसी के ऐसे प्रकरण में मजबूत सबूत इकट्ठा करना, गिरफ्तारी करना ताकि न्यायालय द्वारा दण्डित कराया जा सके काफी मुश्किल होता है. इस केस में एजेंसियों के आपसी सहयोग से यह संभव हो सका.

गिरफ्तार करने वाली टीम

उक्त अभियुक्त को पुलिस उपाधीक्षक एटीएस श्री मनीष सोनकर, निरीक्षक श्री गुलाब शंकर पाण्डेय व निरीक्षक श्री विश्वजीत सिंह की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

मा मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल में दिए गए संसाधनों के कारण ATS की capacity बढ़ी है जिसकी वजह से यह सफलता मिली है. तकनीकी तौर पर यह कार्रवाई काफी कठिन थी।

UTTAR PRADESH
UP ATS
ANTI-TERROR SQUAD

फोटो के लिये link पर click करे :-

https://drive.google.com/file/d/1N80CS9F-Q0MTdv4jWRRG6OhCE5QzpCPS/view?usp=sharing